सेवा में,

श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय,

परगना- धारी, जिला- नैनीताल।

द्वारा- श्रीमान तहसीलदार महोदय धारी।

विषय- ग्राम- वना में वन पंचायत भूमि पर हो रहे अतिक्रमण के संबंध में रिपोर्ट।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि आज दिनांक 22-02-2025 को दूरभाष पर प्राप्त वन पंचायत वना मे अवैध निर्माण की सूचना पर मुझ राजस्व उपनिरीक्षक पूर्वी आगर द्वारा मौका मुआयना कर जांच की गई। मौके पर महेंद्र सिंह पुत्र शेर सिंह निवासी ग्राम- वना, पट्‌टी- पूर्वीआगर, तहसील- धारी वालों द्वारा वन पंचायत के खेत संख्या 1777 मध्ये पिलर लगाकर लिन्टर डाला गया है, जिस पर मुझ राजस्व उप निरीक्षक पूर्वीआगर द्वारा जरिए नोटिस भूमि सम्बधी वैध दस्तावेज मांगे गये। उक्त द्वारा नोटिस रिसीव नहीं किया गया, तथा साथ में ही खड़े व्यक्ति जो महेंद्र सिंह का दोस्त बताया जा रहा था ने नोटिस को छीनकर फाड़ दिया। मेरे द्वारा महेंद्र सिंह के दोस्त जिसे लोग हेमू कहकर पुकार रहे थे शराब के नशे में था से सरकारी नोटिस को फाड़ने का कारण पूछा तो उसके द्वारा मेरे साथ गाली गलोच एवं अभद्र ब्यवहार किया गया एवं जान से मारने की धमकी दी तथा क्षेत्र में दुबारा नहीं दिखने को कहा गया एवं दिखाई देने पर जान से मार देगा की धमकी दी गई है। मौके की स्तिथि को देखते हुए में वह से मुख्यालय को चला आया।

महोदय सरकारी कार्य में बाधा एवं सरकारी कागजात फाड़ने के एवं सरकारी सेवक से अभद्रता करने एवं दहशत का माहौल बनाने के संबंध अग्रिम कार्यवाही हेतु रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित।

संलग्नक- मौके का फोटोग्राफ

फाड़े गये नोटिस का फोटोग्राफ

22-02-25

निर्मल बोरा
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र - पूर्वी आगर
तहसील -धारी (नैनीताल)

Latitude: 29.427822
Longitude: 79.634337
Elevation: 2048.26±4 m
Accuracy: 3.8 m
Azimuth: 21° (N)
Pitch: -10.6°
Time: 22-02-2025 17:28
Note: mahendra singh vna
Powered by AngleCam

नोटिस/सूचना

आज दिनांक 22-02-2025 को आप श्री महेंद्र सिंह पुत्र श्री शेर सिंह निवासी ग्राम- वना, पट्टी- पूर्वीआगर, तहसील- धारी वालों को जरिए नोटिस अवगत कराना है कि आपके द्वारा ग्राम- वना, पट्टी- पूर्वी आगर में खेत संख्या 1777 में अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा है जो वन पंचायत भूमि है। इस संबंध में आपके पास यदि कोई वैध दस्तावेज हों तो 03 दिवस भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा उच्चाधिकारियों को सूचित कर आपके विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।

इत्तिला जानें ।

22-2-25

निर्मल बोरा

राजस्व उप-निरीक्षक

क्षेत्र - पूर्वीआगर